

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : - देवीलाल यादव (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या : - 21/2021

उनवान

1. सरफूदीन पुत्र अजीम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद।
--- प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री फारुख खत्री
बनाम

1. कमाल खां पुत्र अजीम खां,
2. अब्दुल मजीद पुत्र बशीर,
3. अब्दुल रशीद पुत्र बशीर,
4. उल्फतबानो पत्नि अहमद नूर खां,
5. नजीर पुत्र अहमद नूर खां
6. पीरु पुत्र अहमद नूर खां,
7. मोहम्मद सलीम पुत्र बशीर,
8. वजीर पुत्र महमदनूर खां,
9. सलमा पत्नि बशीर,
10. सीराजुदीन पुत्र बशीर,
11. शफी मोहम्मद पुत्र बशीर,
12. सिकन्दर खां पुत्र अजीम खां समस्त जाति मुसलमान समस्त निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद
— अप्रार्थीगण :- 2, 3, 5, 7 से 10 जरियें अधिवक्ता, 13 जरिये राज0 पैरोकार
शेष अनुपस्थित
14. गफूरन पत्नि जब्बार,
15. पीर मोहम्मद पुत्र जमाल खां,
16. सलमा पुत्री जब्बार,
17. सिकन्दर पुत्र जमाल खां,
18. हमीदा पुत्री जब्बार समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद।

— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :- अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



:- आदेश :-

दिनांक :- 15-04-21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.30 किस्म नहरी की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की है। आवेदनकर्ता अपनी उपरोक्त आराजी में मुख्य रास्ता से होकर हाल खसरा नम्बर 2132, 2130, 2128 में से आवागमन करते हैं। अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकार के उपरोक्त आवागमन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 15 फिट चौड़ा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 7 से 10 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि हाल खसरा नम्बर 2127 में पूरब दिशा में मौके पर रास्ता स्थित है। जवाबकर्ता की आराजी खसरा नम्बर 2132 रकबा 0.55 के दक्षिण दिशा की मेड पर रास्ता स्थित है। जिसमें से होकर प्रार्थी हाल खसरा नम्बर 2126, 2128 व 2125 में से होकर आता जाता है। इसके बावजूद प्रार्थी खसरा नम्बर 2132 के दो टुकड़े करने के आशय से आवेदन पेश किया है। प्रार्थी द्वारा अपने खेत के आगे हाल खसरा नम्बर 2126, 2125 व 2129 में से रास्ते की मांग नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार हाल खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.30 प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में है। प्रार्थी ने उक्त आराजी पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2132, 2130 व 2128 में से रास्ता चाहा है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रास्ता व प्रार्थी की खातेदारी आराजी के बीच में खसरा नम्बर 2132, 2131, 2130 व 2128 स्थित है। जिनमें से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान में उक्त खेतों की मेड से होकर आवागमन किया जाता है किन्तु कृषि संशाधनों का आवागमन उक्त मार्ग से नहीं हो सकता है। साथ ही मार्ग की आत्यंतिक आवश्यकता भी बतायी गयी। किन्तु उक्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2132, 2130 व 2128 की किस्म नहरी व खसरा नम्बर 2131 की किस्म मोरी है। खसरा नम्बर 2131 कि किस्म मोरी होने व प्रतिबंधित होने के कारण उक्त खसरा नम्बर में से मार्ग नहीं दिया जा सकता है। मौका रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं बताया है। प्रार्थी को मोरी की भूमि तक रास्ता दिये जाने से उसके हितों की पूर्ति नहीं होती है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

